न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

अनुसूचि 14 – फारम संख्या 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.............................. से .... तक

जिला–बोकारो, **वाद संख्या–03/2016–17**

विश्वनाथ महतो एवं अन्य बनाम् कमलेश सोनार एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के स
1	2	3
15/02/23	आदेश	C.C. Issued 20/05/23

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदकगण विश्वनाथ महतो एवं अन्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड को जनसंवाद में समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया है।

इस वाद में प्रथम पक्ष :– 1.विश्वनाथ महतो
2.रमेश महतो
3.कुलदीप महतो
4.रीतवरण महतो
} पिता–स्व0 चामु महतो

स्थायी ग्राम+पो0+थाना–पेटरवार, जिला–बोकारो।
वर्तमान पता–ग्राम–फुटलाही उर्फ बेन्दोटांड,
पो0+थाना–कसमार, जिला–बोकारो।

इस वाद में द्वितीय पक्षः– 1.कमलेश सोनार, पिता–स्व0 किष्टो सोनार
2.पवन सोनार, पिता–कमलेश सोनार
निवास ग्राम–गागी, टोला–भेलवाटांड,
पो0+थाना–पेटरावार, जिला–बोकारो

विवादित भूमि का विवरण निम्नवत हैः–

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
गगी	57	80	0.19ए0

अपीलार्थीगण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित आवेदन में उल्लेख है कि, वो पेटरवार प्रखण्ड के स्थायी निवासी है, किन्तु वर्तमान में मजबूरन फुटलाही ग्राम में अपने नानी घर में निवास कर रहे है, जो कसमार प्रखण्ड अंतर्गत आता है। आगे उल्लेखित करते है कि, उनकी खतियानी जमीन मौजा–गागी, खाता सं0–57, प्लॉट सं0–80, कुल रकवा–0.19ए0 भूमि स्थित है। वर्णित भूमि उनके पूर्वज (परदादा) मनशा कुर्मी एवं लोबिन कुर्मी (उर्फ लेवना कुर्मी) के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है, जिसे कभी भी न तो अपीलार्थीगण और न ही उनके पूर्वजों ने किसी को बिक्री किया है। किन्तु उक्त भूमि की जाली कागजात बनाकर द्वितीय पक्ष के व्यक्तियों द्वारा हड़प लिया गया है, जिस कारण अपीलार्थीगण सभी संबंधित दस्तावेजों की जाँच कर उचित न्याय दिलाने एवं खतियानी रैयत के नाम लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय पक्ष के 1.कमलेश सोनार, पिता–स्व0 किष्टो सोनार एवं 2.पवन सोनार, पिता–कमलेश सोनार को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया, साथ ही कार्यालय पत्रांक–321 ए/रा0, दिनांक–17.06.2017 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

अपीलार्थीगण द्वारा समर्पित आवेदन एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि, मौजा–गागी, खाता सं0–57, प्लॉट सं0–80, कुल रकवा–0.19ए0 भूमि को न तो अपीलार्थीगण और न ही उनके पूर्वजों ने किसी को बिक्री किया है। किन्तु द्वितीय पक्ष के व्यक्तियों द्वारा अवैध कागजात बनाकर उसे हड़प लिया गया है, जिसका वर्तमान में उनके नाम से गलत जमाबंदी भी चल रही है, जिसे रद्द कर खतियानी रैयत के नाम से जमबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया जाय।

द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा, लिखित बहस एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा उल्लेखित की गई है कि, उनके पास वर्तमान में जो उपरोक्त भूमि उनके पास है, वो उनको अपीलार्थीगण के पूर्वज से उन्हें खरिदगी प्राप्त है, जिसकी दाखिल–खारिज कर भूमि की लगान सरकार को नियमसंगत देते आ रहें है, जो सरकारी दस्तावेजों से साबित किया जा सकता है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद तथा तथ्यहीन है, जिस कारण इस वाद को खारिज किया जाना चाहिए।

अंचल अधिकारी, पेटरवार द्वारा पत्रांक–554, दिनांक–08.09.2017 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में उनके द्वारा उल्लेखित किया गया है कि, मौजा–गागी, थाना सं0–23 के खाता सं0–57, प्लॉट सं0–80, कुल रकवा–0.19ए0 भूमि रैयती खाते की है, जिसका सर्वे खतियान लेवना कुरमी वल्द शुकु के नाम से दर्ज है। कुल रकवा–0.19ए0 भूमि केवाला सं0–3004, दिनांक–07.09.1942 के द्वारा विगु साव वो किस्टु साव, दुखु साव द्वारा खरिद की गयी है, जिसका जमाबंदी पंजी–II के पृष्ठ सं0–151/I में केवालाधारी रैयत के नाम से कायम है वो वर्ष 1973–74 से 2013–14 तक लगान रसीद निर्गत हैतथा भूमि पर चहार दिवारी एवं कुँआ के रुप में जमाबन्दी रैयत का दखल–कब्जा है।

उपर्युक्त विवेचना उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा, संलग्न दस्तावेजों तथा अंचल अधिकारी, पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन कर पाया कि, अपीलार्थीगण द्वारा आवेदांकित भूमि का मामला रैयती भूमि का है, जिसपर अपीलार्थीगण की जमाबंदी न कायम होकर द्वितीय पक्ष के लोगों का चल रहा है, तथा आवेदांकित भूमि पर द्वितीय पक्ष के लोगों का ही प्रतिकूल दखल–कब्जा है, जिससे यह मामला [illegible] का स्थापित होता है। अतः उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते है। इसके साथ इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.01.15 00:15:09 -08:00
Location: 192.168.1.35

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।